



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 12.10.2021

थाना कविनगर पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मोटर साईकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 02 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी व 2 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 11.10.2021 को समय करीब 22.30 बजे NDRF ग्राउन्ड थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण (1) जगमोहन पुत्र रामप्रसाद निवासी म0नं0 1201 कोटला सादात थाना हापुड जिला हापुड (2) मांगे पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम अतराडा थाना खरखौदा जिला मेरठ व (3) राहुल पुत्र अशोक निवासी म0नं0 एफ के 1-65 बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1450/21 धारा 379/411/482 भादवि से सम्बन्धित मोटर साईकिल स्पलेन्डर नं0 UP14BC 8801 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नं0 UP14T 4407 व मु0अ0सं0 1622/21 धारा 379/411/482 भादवि से सम्बन्धित मोटर साईकिल स्पेलेन्डर नं0 UP37E 4893 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नं0 UP14AK 2701 व मु0अ0सं0 1669/21 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित टीवीएस स्कूटी नं0 UP14EM 7332 बरामद हुई। अभियुक्त गण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शातिर किस्म के मोटर साईकिल चोर हैं, जो मौका पाते ही घरों व कार्यालयों के बाहर खड़ी मोटर साईकिलो/स्कूटी को चोरी कर लेते हैं तथा उन पर पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट लगाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) जगमोहन पुत्र रामप्रसाद निवासी म0नं0 1201 कोटला सादात थाना हापुड जिला हापुड उम्र 30 वर्ष।
- (2) मांगे पुत्र संजय निवासी ग्राम अतराडा थाना खरखौदा जिला मेरठ उम्र 21 वर्ष।
- (3) राहुल पुत्र अशोक निवासी म0नं0 एफ के 1-65 बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जगमोहन-

- 1- मु0अ0सं0 1450/21 धारा 379/411/482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1622/21 धारा 379/411/482 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1669/21 धारा 379/411 भादवि थाना थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मांगे-

- 1- मु0अ0सं0 1450/21 धारा 379/411/482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1622/21 धारा 379/411/482 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1669/21 धारा 379/411 भादवि थाना थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल-

- 1- मु0अ0सं0 1450/21 धारा 379/411/482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1622/21 धारा 379/411/482 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद।
- 3- मु0अ0सं0 1669/21 धारा 379/411 भादवि थाना थाना कविनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- (1) मु0अ0सं0 1450/21 से सम्बन्धित मोटर साईकिल स्पेलेन्डर नं0 UP14BC 8801 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नं0 UP14T 4407
- (2) मु0अ0सं0 1622/21 से सम्बन्धित मोटर साईकिल स्पेलेन्डर नं0 UP37E 4893 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नं0 UP14AK 2701 व
- (3) मु0अ0सं0 1669/21 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित टीवीएस स्कूटी नं0 UP14EM 7332

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नरपाल सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 सत्यवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. है0का0 रविन्द्र थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. का0 आबिद थाना कविनगर गाजियाबाद।

स्वाट टीम, जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद जिसकी कीमत अनुमानित 03 करोड़ रुपये

अवगत कराना है दिनांक: 12.10.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक, अपराध के पर्यवेक्षण में स्वाट टीम, जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना मधुवन बापूधाम क्षेत्र के मनन धाम फाटक के पास बिना किसी लाइसेन्स के संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गयी। जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण :-

पूछने पर बताया कि लैब में विस्फोटक बनाने का कार्य रवि, सन्दीप व आकाश के द्वारा किया जाता है जो सान्द्र नाइट्रिक एसिड, भ्रुव3द्ध में चांदी को मिलाकर सिल्वर नाइट्रेट ; ष्छव3द्ध बनाया जाता है। फिर सिल्वर नाइट्रेट को एथेनॉल मिलाकर सिल्वर फ्लमीनेट बनाते हैं जो विस्फोटक पदार्थ होता है। उस विस्फोटक को पत्थर की बजरी में मिलाकर पटाखे तैयार किये जाते हैं। मैन्यूफेक्चरिंग करने वाले राजेश, विष्णु और अरविन्द ने बताया कि विस्फोटक युक्त बजरी को मैन्यूफेक्चरिंग मशीनों में भरकर पटाखे तैयार किये जाते हैं तथा तैयार पटाखों को पैकिंग कर उनका भण्डारण किया जाता है, जो अलग-अलग क्षेत्रों को मांग के अनुसार बिक्री हेतु सप्लाय कर दिया जाता है। पूछने पर बताया कि हम सभी इस फैक्ट्री में विस्फोटक बनाने तथा पटाखे बनाने और उनके भण्डारण का कार्य करते हैं। इस फैक्ट्री के मालिक मनीष जैन पुत्र स्व0 श्री जय कुमार जैन निवासी म0नं0 1646/118 गणेशपुरा त्रिनगर, दिल्ली है तथा ललित गोयल तथा आशू तथा तरुण राय पुत्र नरेश कुमार राय निवासी म0नं0 6/68 गीता कालौनी, दिल्ली तथा कुछ अन्य लोग बराबर के साझीदार हैं तथा तरुण राय द्वारा फैक्ट्री में विस्फोटक बनाने हेतु काम में आने वाली सामग्री नाइट्रिक एसिड, चांदी, एथेनॉल आदि की सप्लाय की जाती है। लैब टैक्नीशियन रवि, संदीप, आकाश उपरोक्त से इनके डिग्री/लाइसेन्स दिखाने को कहा तो इनके पास नहीं मिला। ये लोग बिना लाइसेन्स आदि के इस खतरनाक कार्य को अंजाम दे रहे थे। इन खतरनाक कैमिकल के मिश्रण में थोड़ी भी भिन्नता होने पर अत्यन्त खतरनाक विस्फोट होना सम्भव है, जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। इन लोगों द्वारा वर्ष 2018 में बवाना दिल्ली में इसी तरह की अवैध पटाखों की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। जिसमें लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण विस्फोट हुआ और 17 निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। संयुक्त टीम द्वारा फैक्ट्री को चैक करने पर एथेनॉल के 6 ड्रम, जिसमें प्रत्येक में 200-200 लीटर एथेनॉल नीले रंग के ड्रमों में भरा है व काली प्लास्टिक की 10 कैन, जिनमें नाइट्रिक एसिड प्रत्येक कैन में 20-20 लीटर नाइट्रिक एसिड भरा है। बजरी के 250 कट्टे ग्राउन्ड फ्लोर पर रखे हैं। गत्ते के अनफोल्ड डिब्बे लगभग 1000, बड़े डिब्बे लगभग 8000, छोटे डिब्बे लगभग 40000, प्लास्टिक के रोल 20, प्रथम तल पर मैन्यूफेक्चरिंग तथा पैकिंग मशीन 38 तैयारशुदा पटाखों की पेटी 400, प्रथम

तल पर तैयारशुदा मिश्रण को 145 प्लास्टिक की थैली तथा द्वितीय तल पर बने कमरे की लैब में बीकर कुल 75 जिनमें से 30 बीकर में विस्फोटक कैमिकल भरा है। शेष बीकर खाली हैं, 20 खाली गैलन है। तीन स्टील की बाल्टी, एक स्टोव गैस वाला, एक वेट मशीन तथा 32 रंग-विरंगे वाउल, जिनमें से कुछ के घुली हुई चांदी है तथा ग्लब्स, आंखों पर पहने जाने वाला चश्मा, प्लास्टिक के घुटनो तक पहने जाने वाले जूते तथा काफी मात्रा में अधनिर्मित विस्फोटक सामग्री व अलग-अलग तरह के रंग-बिरंगे रैपर मिले तथा भूतल पर स्थिति भण्डार गृह में पड़े तखत पर कुछ बिल जंग पद टपबम रखे मिले, जिन्हें कब्जे में लिया गया। अबतक कि बरामदगी व पूछताछ से यह स्पष्ट होता है कि उक्त फैक्ट्री के संचालकों तथा उपरोक्त पकड़े गये वर्करों को सारे तथ्यों का संज्ञान होने के उपरान्त एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से लाभ अर्जित करने हेतु अवैध स्वनिर्मित विस्फोटकों का निर्माण कर फर्जी बिलों के द्वारा विस्फोटक सामग्री बनाने का सामान क्रिय किया जा रहा है। यदि फैक्ट्री मालिक उ0प्र0 सरकार से नियमानुसार लाइसेन्स प्राप्त कर यह कार्य करता तो सरकार को राजस्व का फायदा होता उपरोक्त आरोपियों द्वारा फैक्ट्री में कोई भी अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन विभाग से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, उपरोक्त आरोपीगण द्वारा आवादी ऐरिया में यह कार्य करके आमजन की जान को खतरे में डाला गया है। उपरोक्त आरोपीगण द्वारा अपने अनुचित लाभ के लिए बिना लाइसेन्स प्राप्त किये सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर धोखाधड़ी करके अवैध

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. रवि पुत्र जगदीश निवासी गली नं0 4 मथुरा नगर थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद (लैबटैक्नीशियन)
2. सन्दीप पुत्र रमेशपाल सिंह निवासी म0नं0 62 वीसलपुर मोहल्ला बख्त बल्लाल थाना वीसलपुर जिला पीलीभीत (लैबटैक्नीशियन)
3. आकाश पुत्र जालिम सिंह निवासी मथुरा नगर गली नं0 4 थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद (लैबटैक्नीशियन)
4. राकेश पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी 541/6 आर्यनगर थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद (सुपरवाइजर)
5. विष्णु पुत्र रमेश निवासी जैन मन्दिर के पास, जीएल जैन कॉलेज के पीछे थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद (सुपरवाइजर)
6. अरविन्द पुत्र मन्थाराम निवासी ग्राम फतेहपुर मानिकपुर थाना जैदपुर जिला अम्बेडकरनगर (मशीन ऑपरेटर)

नाम पता वांछित अभियुक्तगण :-

1. मनीष जैन पुत्र स्व0 श्री जय कुमार जैन निवासी म0नं0 1646/118 गणेशपुरा त्रिनगर, दिल्ली
2. ललित गोयल तथा आशू तथा तरुण राय पुत्र नरेश कुमार राय निवासी म0नं0 6/68 गीता कालौनी, दिल्ली
3. तरुण राय पुत्र नरेश कुमार राय निवासी म0नं0 6/68 गीता कालौनी, दिल्ली

बरामदगी का विवरण :-

1. एथेनॉल के 6 ड्रम, जिसमें प्रत्येक में 200-200 लीटर एथेनॉल नीले रंग के ड्रम
2. काली प्लास्टिक की 10 कैन, जिनमें नाइट्रिक एसिड प्रत्येक कैन में 20-20 लीटर नाइट्रिक एसिड
3. बजरी के 250 कट्टे
4. गत्ते के अनफोल्ड डिब्बे लगभग 1000
5. बड़े डिब्बे लगभग 8000, छोटे डिब्बे लगभग 40000
6. प्लास्टिक के रोल 20
7. मैन्यूफैक्चरिंग तथा पैकिंग मशीन 38
8. तैयारशुदा पटाखों की पेटी 400
9. तैयारशुदा मिश्रण को 145 प्लास्टिक की थैली
10. लैब में बीकर कुल 75
11. 20 खाली गैलन
12. तीन स्टील की बाल्टी
13. एक स्टोव गैस वाला
14. एक वेट मशीन
15. 32 रंग-विरंगे वाउल, जिनमें से कुछ के घुली हुई चांदी है
16. ग्लब्स, आंखों पर पहने जाने वाला चश्मा,
17. प्लास्टिक के घुटनो तक पहने जाने वाले जूते तथा काफी मात्रा में अधनिर्मित विस्फोटक सामग्री
18. अलग-अलग तरह के रंग-बिरंगे रैपर मिले
19. कुछ बिल जंग पद टपबम रखे मिले,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द प्रकाश मिश्र स्वाट टीम गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री अरुण कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री प्रजन्त त्यागी स्वाट टीम गाजियाबाद
4. उ0नि0 श्री सतवीर सिंह स्वाट टीम गाजियाबाद
5. उ0नि0 श्री अरुण कुमार वर्मा स्वाट टीम गाजियाबाद
6. उ0नि0 श्री संजीव कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
7. उ0नि0 श्री हरेन्द्रपाल सिंह थाना मधुवन बापूधाम जनपद गाजियाबाद मय टीम
8. हे0का0 1469 खुशींद आलम स्वाट टीम गाजियाबाद
9. हे0का0 117 बालेन्द्र स्वाट टीम गाजियाबाद
10. हे0का0 1297 सौरभ सोलंकी स्वाट टीम गाजियाबाद
10. हे0का0 1495 अनुज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
12. हे0का0 1224 चन्द्र शेखर स्वाट टीम गाजियाबाद
13. हे0का0 1564 आशुतोष सिंह स्वाट टीम गाजियाबाद
14. का0 1013 सुनील पंवार स्वाट टीम गाजियाबाद

15. का0 2355 नीरज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
16. का0 2388 संदीप कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
17. हे0का0 1367 संदीप कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
18. हे0का0 748 सचिन कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
19. का0 1550 नितिन कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
20. का0 1363 मनीष कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
21. का0 921 विनय खैवाल स्वाट टीम गाजियाबाद
22. का0 2003 सचिन बालियान स्वाट टीम गाजियाबाद
23. का0 131 मनोज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
24. का0 2554 मनोज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
25. का0 सहचालक 1099 सतीश कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद



थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ,कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 11.10.21 को विवेकानन्द फ्लाई ओवर के पास मुखर्जी पार्क थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त सचिन पुत्र विनोद निवासी पारपा थाना धौलाना जिला हापुड को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1673/21 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध गांजा की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सचिन पुत्र विनोद निवासी पारपा थाना धौलाना जिला हापुड उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

02 किलो 600 ग्राम गाजा नाजायज अभियुक्त नरेश कुमार के कब्जे से।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1673/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास का जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

5. उ0नि0 मौ0 अकरम खान थाना कविनगर गाजियाबाद।
6. हे0का0 दिनेश चन्द थाना कविनगर गाजियाबाद।
7. का0 फारुख थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 12-10-21 को थाना क्षेत्र मे 02 नफर अभियुक्त मय चोरी की मो0सा0

HONDA SHINE मय एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना नन्दग्राम के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान 02 नफर अभियुक्तगण (1) सूरज पुत्र राजबीर उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ई ब्लॉक लाजपत नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद। (2) राजेन्द्र पुत्र फलेश्वर उम्र करीब 32 वर्ष नि0 नई मस्जिद के पास गली नं0 2 म0नं0 54 सिहानी गांव थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद को समय करीब 01.40 बजे मेजर आसाराम कट से मेरठ की तरफ करीब 20 कदम के पास से गिरफ्तार किया।

विवरण बरामदगी-

- 1- मो0सा0 रजि नं0 UP 14 DC 0673 चेसिस नं0 ME4JC731KGT019409 इंजन नं0 JC73ET0036495 सम्बन्धित मु0अ0सं0 990/21 धारा 379/411 भादवि
- 2- 01 अदद चाकू नाजायज।

3- नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- (1) सूरज पुत्र राजबीर उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ई ब्लॉक लाजपत नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद।
- (2) राजेन्द्र पुत्र फलेश्वर उम्र करीब 32 वर्ष नि0 नई मस्जिद के पास गली नं0 2 म0नं0 54 सिहानी गांव थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 990/21 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद बनाम सूरज व राजेन्द्र
मु0अ0सं0 1106/21 धारा 4/25 a.act थाना नन्दग्राम गाजियाबाद बनाम राजेन्द्र
मु0अ0सं0 0036/21 धारा 8/21 ndps act थाना नन्दग्राम गाजियाबाद बनाम राजेन्द्र

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1 उ0नि0 श्री प्रभात बालियान
- 2 उ0नि0 श्री विनोद कुमार पाण्डेय
- 3 है0का0109 जयवीर सिंह,
- 4 है0का0 73 संदीप कुमार
- 5 का0 3819 अमित कुमार

दिनांक 11.10.2021 को थाना मोदीनगर क्षेत्र में जाम लगाने वाले 04 नफर

अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार महोदय के आदेशानुसार कानून/शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 ईरज रजा महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ0 निरी0 श्री प्रशान्त कुमार गौतम की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान कादराबाद रोरी

बम्बे के पास से मोदीनगर से 04 नफर अभिगण 1. मोतीलाल पुत्र बसन्तलाल निवासी ग्राम भूड बराल थाना परतापुर मेरठ , 2. तेज सिंह पुत्र बसन्तलाल निवासी उपरोक्त 3. सुशील पुत्र ओमकार निवासी कल्हैडा थाना निवाडी गाजियाबाद , 4. रविन्द्र पुत्र धर्मराज निवासी भूड बराल थाना परतापुर मेरठ को दिनांक 12.10.2021 को समय 12.49 बजे गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर मु0अ0स0- 932/21 धारा 147/353/332/427/504/506 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट थाना मोदीनगर पर पंजीकृत किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्रवाही की जा रही है ।

➤ **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त गण**

1. मोतीलाल पुत्र बसन्तलाल निवासी ग्राम भूड बराल थाना परतापुर मेरठ ,
2. तेज सिंह पुत्र बसन्तलाल निवासी भूड बराल थाना परतापुर मेरठ ,
3. सुशील पुत्र ओमकार निवासी कल्हैडा थाना निवाडी गाजियाबाद ,
4. रविन्द्र पुत्र धर्मराज निवासी भूड बराल थाना परतापुर मेरठ

➤ **अपराध का विवरण**

अभियुक्त गणो द्वारा दिनांक 11.10.2021 को थाना मोदीनगर क्षेत्र में राज चौपला पर बीमारी के कारण कु0 हिमान्शी पुत्र विपिन निवासी भूडबराल परतापुर मेरठ की मृत्यु हो जाने पर उसके शव को रोड़ पर रखकर जाम लगाना तथा भीड़ को भड़काऊ भाषण देकर उत्तेजित करना, जिससे भीड़ द्वारा मौके पर उपस्थित उच्चाधिकारियो की गाड़ियो के साथ तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त करना तथा पुलिस प्रशासन को विधिक कार्यवाही करने से रोकना।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार गौतम
- 2- है0का0 214 रविन्द्र
- 3- है0का0 813 कासिम
- 4- का0 3164 संदीप कुमार

➤ **पंजीकृत अभियोग का विवरण**

मु0अ0स0- 932/21 धारा 147/353/332/427/504/506 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट थाना मोदीनगर गा0बादा

